रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD.NO.D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 631]	नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2009/कार्तिक 13, 1931
No. 631]	NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2009/KARTIKA 13, 1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2009

सा.का.नि. 795(अ).—केन्द्र सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्य में यथा प्रवृत्त हरियाणा विवाह अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2008 (2008 का हरियाणा अधिनियम सं. 6) का, निम्नलिखित आशोधनों के अध्यधीन सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एतद्द्वारा, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ तक विस्तार करती है, अर्थात् :—

आशोधन

1. धारा 1 की उप-धारा (1) में "हरियाणा विवाह अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2008" शब्दों और अंकों के स्थान पर "संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ तक यथाविस्तारित हरियाणा विवाह अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2008" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

2. पूरे अधिनियम में जहां-जहां "राज्य", और "हरियाणा राज्य" शब्द आते हैं, वहां इनके स्थान पर "संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

3. पूरे अधिनियम में जहां-जहां "राज्य सरकार", और "हरियाणा राज्य सरकार" शब्द आते हैं, वहां इनके स्थान पर "प्रशासक, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

4. धारा 19 की उप-धारा (3) का विलोप किया जाएगा ।

5. धारा 21 का विलोप किया जाएगा ।

[फा.सं. यू-11020/8/2008-यूटीएल]

बी. भामथी, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक

हरियाणा विवाह अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2008

(2008 का हरियाणा अधिनियम सं. 6)

हरियाणा विवाह अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2008 हरियाणा राज्य में जाति, धर्म तथा पंथ को विचार में लाए बिना अनुष्ठापित विवाह के अनिवार्य पंजीकरण के लिए तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित है—

अध्याय I

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.**— (1) यह अधिनियम हरियाणा विवाह अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2008 कहा जा सकता है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में है ।

(3) यह ऐसी तिथि को लागू होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. **परिभाषाएं**— इस अधिनियम में, जब तक विषय या सन्दर्भ के विरुद्ध कोई बात न हो—

(क) "दुल्हा तथा दुल्हन की आयु" से अभिप्राय होगा, विवाह की तिथि जिसको दूल्हे की दशा में इक्कीस वर्ष तथा दुल्हन की दशा में अठारह वर्ष से कम आयु न हो सिवाय उनके लिए जो रूढ़िजन्य या स्वीय विधि के सबूत के प्रस्तुतिकरण के अध्यधीन उनके द्वारा शासित हो;

(ख) "मुख्य रजिस्ट्रार" से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया विवाहों का मुख्य रजिस्ट्रार;

(ग) "जिला रजिस्ट्रार" से अभिप्राय है, धारा 4 के अधीन जिले के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया विवाहों का जिला रजिस्ट्रार;

(घ) "विवाह" से अभिप्राय है, किसी प्ररूप या रीति में अनुष्ठापित या किया गया विवाह तथा इसमें पुनर्विवाह भी शामिल है;

(ङ) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(च) "पुरोहित" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो विवाह का अनुष्ठापन करता है;

(छ) "रजिस्टर" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन रखा गया विवाहों का रजिस्टर;

(ज) "रजिस्ट्रार" से अभिप्राय है, धारा 5 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया विवाहों का रजिस्ट्रार;

(झ) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य;

(ञ) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार ।

अध्याय II

पंजीकरण स्थापना

3. **मुख्य रजिस्ट्रार.**— (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सम्पूर्ण राज्य के लिए मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी ।

(2) मुख्य रजिस्ट्रार, राज्य सरकार के परामर्श से ऐसे पदनामों के ऐसे अन्य अधिकारियों जिन्हें वह अपने ऐसे कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए ठीक समझे जो समय-समय पर निर्वहन के लिए उन्हें प्राधिकृत करे, को भी नियुक्त कर सकता है।

(3) मुख्य रजिस्ट्रार राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशन, यदि कोई हों, के अध्यधीन इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को निष्पादित करने के लिए राज्य में मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी होगा ।

(4) मुख्य रजिस्ट्रार पंजीकरण की दक्ष प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए राज्य में पंजीकरण के कार्य का समन्वय, एकरूप करने तथा निरीक्षण के लिए उचित अनुदेश जारी करते हुए या अन्यथा कदम उठाएगा तथा राज्य में इस अधिनियम की कार्य रिपोर्ट, ऐसी रीति में तथा ऐसे अन्तरालों पर, जो विहित किए जाएं, तैयार करेगा तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

4. **जिला रजिस्ट्रार.**—राज्य सरकार प्रत्येक राजस्व जिले के लिए जिला रजिस्ट्रार तथा अपर जिला रजिस्ट्रारों की ऐसी संख्या, जो वह ठीक समझे, नियुक्त करेगी, जो जिला रजिस्ट्रार के सामान्य नियंत्रण तथा निर्देशन के अध्यधीन अपने ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे जो जिला रजिस्ट्रार समय-समय पर निर्वहन के लिए उन्हें प्राधिकृत करे ।

5. **रजिस्ट्रार.**—(1) राज्य सरकार तहसील या उप-तहसील या किन्हीं दो या दो से अधिक के संयोजन की अधिकारिता के भीतर क्षेत्र समाविष्ट करते हुए इस अधिनियम के उपबंधों को ऐसे क्षेत्रों में निष्पादन करने के लिए प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी :

परन्तु राज्य सरकार नगर निगम, नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकरण या गांवों के समूह की दशा में, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी को रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकती है ।

(2) रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से फीस या पारिश्रमिक के बिना कोई भी विवाह जो उसकी अधिकारिता में होता है, पक्षकारों को बुलाने तथा पंजीकृत किए जाने वाले यथा अपेक्षित तथ्यों को अभिनिश्चित करने के बाद, रजिस्टर में दर्ज कर सकता है ।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रार का स्थानीय क्षेत्र में कार्यालय होगा, जिसके लिए वह नियुक्त किया गया है ।

(4) प्रत्येक रजिस्ट्रार ऐसे दिन को तथा ऐसे समय पर जो मुख्य रजिस्ट्रार निर्दिष्ट करे, विवाह रजिस्टर में दर्ज करने के प्रयोजन के लिए अपने कार्यालय में उपस्थित होगा तथा रजिस्ट्रार के कार्यालय के सहजदृश्य स्थान पर या बाहरी दरवाजे के निकट स्थानीय क्षेत्र, जिसके लिए रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है, के साथ अपना नाम तथा अपनी उपस्थिति के दिन तथा समय स्थानीय भाषा में बोर्ड पर लगाएगा ।

अध्याय 3

विवाहों का पंजीकरण

6. प्रत्येक विवाह का पंजीकृत किया जाना.—इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि के बाद, राज्य में अनुष्ठापित किया गया प्रत्येक विवाह, किसी जाति, धर्म या पंथ को विचार में लाये बिना धारा 7 में यथा उपबन्धित रीति में पंजीकृत किया जाएगा ।

7. विवाहों का ज्ञापन.—(1) विवाह के पक्षकार ज्ञापन, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, तैयार करेंगे तथा हस्ताक्षर करेंगे तथा विवाह की तिथि से नब्बे दिन की अवधि के भीतर सम्बद्ध क्षेत्र जिसमें विवाह अनुष्ठापित किया गया था, के रजिस्ट्रार को या दुल्हन/उसके माता-पिता या दुल्हा/उस के माता-पिता के सामान्य निवास स्थान पर दोहरी प्रति में उक्त ज्ञापन सौंपेंगे या पंजीकृत डाक द्वारा भेजेंगे ।

(2) ज्ञापन के साथ न्यायालय फीस स्टाम्पों के रूप में ऐसी फीस होगी तथा यथाविहित ऐसे व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा ।

(3) जहां रजिस्ट्रार, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, ज्ञापन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों या ध्यान में आए या उसके ध्यान में लाए गए अन्य तथ्यों की संवीक्षा पर संतुष्ट हो जाता है या विश्वास का कारण रखता है कि—

(क) पक्षकारों के बीच विवाह पक्षकारों की स्वीय विधि के अनुसार नहीं किया गया है; या

(ख) पक्षकारों का परिचय प्रमाणित करते हुए पक्षकारों या गवाहों या व्यक्तियों का परिचय तथा विवाह का अनुष्ठापन युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं किया गया है; या

(ग) उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेज पक्षकारों की वैवाहिक हैसियत सिद्ध नहीं करते हैं,

तो वह पक्षकारों को सुनने तथा कारण अभिलिखित करने के बाद, विवाह को रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार कर सकता है तथा वह—

(i) पक्षकारों तथा गवाहों की पहचान को सिद्ध करने के लिए या उसको प्रस्तुत की गई सूचना या दस्तावेजों के सहीपन के लिए ऐसी और सूचना या दस्तावेज जो आवश्यक समझे, को प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों से अपेक्षा कर सकता है;

(ii) स्थानीय पुलिस स्टेशन जिसकी अधिकारिता के भीतर पक्षकार रहते हैं, के पास भी सत्यापन के लिए कागजात भेज सकता है, यदि वह ऐसा आवश्यक समझे ।

(4) जहां उसको प्रस्तुत किए गए दस्जावेजों की संवीक्षा पर या उप-धारा (3) में यथा उपबंधित आगे सत्यापन पर, सम्बद्ध रजिस्ट्रार की संतुष्टि हो जाती है कि विवाह को रजिस्टर में दर्ज करने में कोई आक्षेप नहीं है, तो वह उसे यथाविहित अवधि के भीतर रजिस्टर में दर्ज करेगा। यदि रजिस्ट्रार की राय में, विवाह पंजीकरण के लिए ठीक नहीं है, तो वह उसके कारण अभिलिखित करने के बाद इनकारी का आदेश पारित करेगा तथा जिला रजिस्ट्रार को उसकी दोहरी प्रति भेजेगा ।

(5) उप-धारा (2), (3) तथा (4) में यथा वर्णित निबन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन, विवाह के ऐसे पक्षकार जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से पहले विवाहित थे, यदि वे विवाह के पंजीकरण के समय राज्य के निवासी हैं अपना विवाह भी पंजीकृत करवा सकते हैं ।

(6) उप-धारा (2), (3) तथा (4) में यथा वर्णित निबन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन, विवाह के ऐसे पक्षकार भी जिन्होंने राज्य के बाहर विवाह किया है किन्तु राज्य के निवासी हैं उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार राज्य में अपना विवाह पंजीकृत करवा सकते हैं ।

(7) यदि विवाह राज्य के बाहर पहले ही पंजीकृत है, तो वह राज्य में पुन: पंजीकृत नहीं किया जाएगा ।

8. अपील.—(1) धारा 7 की उप-धारा (4) के अधीन विवाह को रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार करने वाले रजिस्ट्रार के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तिथि से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, जिला रजिस्ट्रार को यथाविहित ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के साथ अपील कर सकता है ।

(2) जिला रजिस्ट्रार, सम्बद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर देने के बाद, रजिस्ट्रार के आदेश को पुष्ट करने वाला आदेश पारित कर सकता है या कारण अभिलिखित करने के बाद सम्बद्ध रजिस्ट्रार को विवाह रजिस्टर में दर्ज करने के लिए निदेश दे सकता है या ऐसे आदेश जो वह ठीक समझे पारित कर सकता है ।

9. द्वितीय अपील.— (1) धारा 8 के अधीन विवाह रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार करने वाले जिला रजिस्ट्रार के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तिथि से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, मुख्य रजिस्ट्रार को यथाविहित ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के साथ अपील कर सकता है ।

(2) मुख्य रजिस्ट्रार, सम्बद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर देने के बाद, जिला रजिस्ट्रार या सम्बद्ध रजिस्ट्रार के आदेश को पुष्ट करने वाला आदेश पारित कर सकता है या कारण अभिलिखित करने के बाद, जिला रजिस्ट्रार या सम्बद्ध रजिस्ट्रार, जैसी भी स्थिति हो, को विवाह रजिस्टर में दर्ज करने के लिए निदेश दे सकता है या ऐसे आदेश जो वह ठीक समझे पारित कर सकता है ।

10. रजिस्टर.—(1) रजिस्ट्रार राज्य में अनुष्ठापित विवाहों का रजिस्टर ऐसे प्ररूप तथा रीति, जो विहित की जाए, में रखेगा धारा 7 के अधीन विवाह के ज्ञापन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार रजिस्टर में उसको अभिलिखित करेगा ।

(2) विवाह के पंजीकरण पर, रजिस्ट्रार पक्षकारों के विवाह प्रमाण-पत्र ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए जारी करेगा ।

11. विवाह का ज्ञापन नब्बे दिन के बाद प्रस्तुत करना.—(1) धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद किसी विशेष विवाह के सम्बन्ध में यथाविहित ऐसे जुर्माने सहित ऐसी फीस के साथ ज्ञापन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जा सकता है तथा रजिस्ट्रार धारा 7 में बताई गई सम्यक् प्रक्रिया को अपनाने के बाद तद्नुसार कार्यवाही करेगा ।

(2) उप-धारा (1) की कोई भी बात, किसी शास्ति के लिए जो धारा 16 के अधीन अधिरोपित की जा सकती है, किसी व्यक्ति के दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी जो धारा 7 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ज्ञापन देने या भेजने में स्वेच्छा से चूक करता है या उपेक्षा करता है ।

(3) कोई विवाह जिसकी विलम्बित सूचना धारा 7 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद किन्तु इसके अनुष्ठान के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रार को दी गई है, तो उसको केवल जिला रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा से तथा यथा विहित ऐसे जुर्माने सहित ऐसी फीस के भुगतान पर तथा विलम्ब के न्यायसंगत कारण देते हुए नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्यांकित शपथ-पत्र के प्रस्तुत करने पर ही पंजीकृत किया जाएगा ।

(4) कोई विवाह जिसकी विलम्बित सूचना इसके अनुष्ठान के एक वर्ष के बाद रजिस्ट्रार को दी गई है, तो उसको केवल मुख्य रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा से तथा यथा विहित ऐसे जुर्माने सहित ऐसी फीस के भुगतान पर तथा विलम्ब के न्यायसंगत कारण देते हुए नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्यांकित शपथ-पत्र के प्रस्तुत करने पर ही पंजीकृत किया जाएगा ।

(5) उप-धारा (1), (2), (3) तथा (4) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात धारा 16 के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति के दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

12. सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रजिस्टर का खुला रखा जाना.—(1) इस अधिनियम के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर सभी युक्तियुक्त समय पर, निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा तथा आवेदन करने पर, उसके प्रमाणित उद्धरण ऐसी फीस जो विहित की जाए के भुगतान पर रजिस्ट्रार द्वारा दिए जाएंगे ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन दिए गए सभी उद्धरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 76 में यथा उपबन्धित ऐसे उद्धरण देने के लिए रजिस्ट्रार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे तथा विवाह जिससे ये सम्बन्धित हैं को सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य में अनुज्ञेय होंगे ।

13. गैर-पंजीकरण विवाह का अविधिमान्य न होना.—राज्य में कोई भी विवाह केवल इस तथ्य के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि यह इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत नहीं किया गया था या कि ज्ञापन रजिस्ट्रार को नहीं दिया गया था या नहीं भेजा गया था या कि ऐसा ज्ञापन त्रुटिपूर्ण, असंगत या गलत था ।

अध्याय IV

रजिस्टरों तथा अभिलेखों का रखा जाना

14. रजिस्टर का रखा जाना.—(1) प्रत्येक रजिस्ट्रार सम्बद्ध क्षेत्र या उसके किसी भाग जिनके सम्बन्ध में वह अधिकारिता का प्रयोग करता है, के लिए विवाहों के रजिस्टर ऐसे प्ररूप तथा रीति, जो विहित की जाए, में रखेगा ।

(2) मुख्य रजिस्ट्रार ऐसे प्ररूप के अनुसार जो समय-समय पर विहित किया जाए, विवाह की प्रविष्टि करने के लिए रजिस्टर पुस्तकों की पर्याप्त संख्या मुद्रित करवाएगा तथा आपूर्ति करवाएगा; तथा स्थानीय भाषा में ऐसे प्ररूप की प्रति रजिस्ट्रार के कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान या बाहरी दरवाजे के निकट चिपकाएगा ।

15. रजिस्टर में प्रविष्टि को ठीक करना या रद्द करना.—यदि रजिस्ट्रार की सन्तुष्टि के अनुसार यह पाया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन उस द्वारा रखे गए किसी रजिस्टर में विवाह की किसी प्रविष्टि का प्ररूप या सार गलत है, या कपटपूर्ण या अनुचित रूप से की गई है, तो वह शर्त जिस पर तथा परिस्थितियां जिनमें ऐसी प्रविष्टियां, ठीक या रद्द की जा सकती हैं, के संबंध में, ऐसे नियमों के अध्यधीन जो राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएं, मूल प्रविष्टि में किसी परिवर्तन के बिना, हाशिए में उपयुक्त प्रविष्टि द्वारा प्रविष्टि की गलती को ठीक या रद्द कर सकता है, तथा हाशिए में की गई ऐसी प्रविष्टि पर हस्ताक्षर करेगा तथा साक्ष्यांकित करेगा तथा संशोधन या रद्दकरण की तिथि अंकित करेगा ।

अध्याय V

शास्तियां

16. शास्ति.— कोई व्यक्ति जो—

(क) धारा 7 द्वारा यथा अपेक्षित ज्ञापन देने या भेजने में स्वेच्छा से चूक करता या असफल रहता है, तो वह जुर्माना जो पांच सौ रुपए तक हो सकता है से दण्डनीय होगा; या

(ख) (i) ऐसे ज्ञापन में कोई कथन करता है जो तात्विक विशिष्टियों में मिथ्या है, तथा जिसे वह मिथ्या होना जानता है या मिथ्या होने में विश्वास का कारण रखता है; या

(ii) विवाह का रजिस्टर या उसके किसी भाग को गुप्त रूप से नष्ट करता है या बेईमानी से या कपटपूर्वक उसमें परिवर्तन करता है,

तो वह जुर्माना जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या एक वर्ष की कारावास या दोनों से दण्डनीय होगा ।

अध्याय VI

विविध

17. रजिस्ट्रार का लोक सेवक होना.—इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में कार्य करते समय या कार्य करने लिए तात्पर्यित इस अधिनियम के अधीन नियुक्त मुख्य रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार, अपर जिला रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझे जाएंगे ।

18. परित्राण.—इस अधिनियम के अधीन कोई भी बात जो सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित है, के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जाएंगी ।

19. नियम बनाने की शक्ति.—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए ऐसे नियम बना सकती है, अर्थात् :—

(क) रीति तथा अन्तराल जिस पर इस अधिनियम की कार्य रिपोर्ट धारा 3 की उप-धारा (4) के अधीन प्रस्तुत की जानी है;

(ख) धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन ज्ञापन की फीस तथा व्यक्ति जो उसे साक्ष्यांकित करेगा;

(ग) धारा 7 की उप-धारा (4) के अधीन अवधि जिसके भीतर विवाह पंजीकृत किया जाना है;

(घ) धारा 8 की उप-धारा (1) के अधीन अपील दायर करने के लिए रीति तथा फीस;

(ङ) धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन द्वितीय अपील दायर करने के लिए रीति तथा फीस;

(च) धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्ररूप तथा रीति जिसमें रजिस्टर रखा जाना है;

(छ) प्ररूप जिसमें धारा 10 की उप-धारा (2) के अधीन विवाह का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा;

(ज) धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन भुगतान की जाने वाली फीस तथा जुर्माना;

(झ) धारा 12 की उप-धारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए फीस;

(ञ) धारा 14 के अधीन प्ररूप तथा रीति जिसमें विवाहों का रजिस्टर तथा विवाह की प्रविष्टियां करने के लिए प्ररूप रखा जाना है;

(ट) धारा 15 के अधीन शर्तें तथा परिस्थितियां जिनमें विवाह की प्रविष्टियां सही या रद्द की जाएंगी;

(ठ) कोई अन्य मामला जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या किया जा सकता है ।

4011 GI/09-2

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष, जब यह सत्र में हो, रखा जाएगा ।

20. कतिपय विधियों के उपबन्धों का अल्पकारी न होना.— इस अधिनियम के उपबन्ध विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का 43), भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (1872 का 15), पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 (1936 का 3) तथा विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 (1969 का 33), के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे तथा इनके अल्पीकरण में नहीं होंगे ।

21. निरसन तथा व्यावृत्ति.— (1) हरियाणा विवाह अनिवार्य पंजीकरण अध्यादेश, 2008 (2008 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1), इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, समझी जाएगी ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2009

G.S.R. 795(E).— In exercise of the powers conferred by Section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union Territory of Chandigarh, the Haryana Compulsory Registration of Marriages Act, 2008 (Haryana Act No. 6 of 2008) as in force in the State of Haryana on the date of publication of this notification in the Official Gazette, subject to the following modifications, namely :—

MODIFICATION

1. In sub-section (1) of section 1, for the words and figures "the Haryana Compulsory Registration of Marriages Act, 2008", the words and figures "the Haryana Compulsory Registration of Marriages Act, 2008, as extended to the Union Territory of Chandigarh" shall be substituted.

2. Throughout the Act, for the words "State", and "State of Haryana", wherever they occur, the words "Union Territory of Chandigarh" shall be substituted.

3. Throughout the Act, for the words "State Government", and "Government of the State of Haryana", wherever they occur, the words "Administrator, Union Territory of Chandigarh" shall be substituted.

4. Sub-section (3) of section 19 shall be omitted.

5. Section 21 shall be omitted.

[F. No. U-11020/8/2008-UTL]

B. BHAMATHI, Jt. Secy.

ANNEXURE

The Haryana Compulsory Registration of Marriages Act, 2008

(Haryana Act No. 6 of 2008)

An Act *to provide for compulsory registration of marriages solemnized in the State of Haryana irrespective of caste, religion and creed and for matters connected therewith or incidental thereto.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) This Act may be called the Haryana Compulsory Registration of Marriages Act, 2008.

(2) It extends to the whole of the State of Haryana.

(3) It shall come into force on such date, as the State Government may by notification in the Official Gazette, appoint.

2. **Definitions.**— In this Act, unless there is anything repugnant to the subject or context :—

(a) "age of bridegroom and bride" shall mean the age not less than twenty-one years in the case of bridegroom and eighteen years in the case of bride on the date of marriage except for those who are governed by customary or personal law subject to the production of proof thereof;

(b) "Chief Registrar" means the Chief Registrar of marriages appointed by the State Government under section 3 ;

(c) "District Registrar" means the District Registrar of marriages appointed by the State Government for a district under section 4;

(d) "marriage" means to solemnize or enter into a marriage in any form or manner and includes remarriage ;

(e) "prescribed " means prescribed by rules made under this Act ;

(f) "priest" means any person who solemnizes a marriage ;

(g) "register" means a register of marriages maintained under this Act;

(h) "Registrar" means a registrar of marriages appointed by the State Government under section 5 ;

(i) "State" means the State of Haryana ;

(j) "State Government" means the Government of the State of Haryana.

CHAPTER II

REGISTRATION ESTABLISHMENT

3. Chief Registrar.—(1) The State Government shall by notification in the Official Gazette, appoint a Chief Registrar for the whole of the State.

(2) The Chief Registrar may, in consultation with the State Government also appoint such other officers with such designations as he thinks fit for the purpose of discharging, such of his functions, as he may from time to time, authorize them to discharge.

(3) The Chief Registrar shall be the Chief Executive Authority in the State for carrying into execution the provisions of this Act and the rules made thereunder subject to the directions, if any, given by the State Government.

(4) The Chief Registrar shall take steps, by issuing suitable instructions or otherwise, to co-ordinate, unify and supervise the work of registration in the state for securing an efficient system of registration and shall prepare and submit to the State Government, in such manner and at such intervals, as may be prescribed, a report on the working of this Act in the State.

4. District Registrar.—The State Government shall appoint a District Registrar for each revenue district and such number of Additional District Registrars, as it thinks fit, who shall, subject to the general control and direction of the District Registrar, discharge such of his functions as the District Registrar may, from time to time authorized them to discharge.

5. Registrar.— (1) The State Government shall appoint a Registrar for each local area comprising the area within the jurisdiction of a tahsil or sub-tahsil or a combination of any two or more of them for carrying into execution in such areas the provisions of this Act:

Provided that the State Government may appoint, in the case of Municipal Corporation, Municipality or other local authority or a group of villages, any officer or employee thereof, to be a Registrar under the provisions of this Act.

(2) The Registrar may also *suo motu,* without fee or reward, enter any marriage which takes place in his jurisdiction in the register, after calling the parties and ascertaining the facts as required to be registered.

(3) Every Registrar shall have an office in the local area for which he is appointed.

(4) Every Registrar shall attend his office for the purpose of registering marriages on such days and at such hours as the Chief Registrar may direct and shall cause to be placed in conspicuous place on or near the out door of the office of the Registrar a board bearing in the local language, his name with the addition of Registrar for the local area for which he is appointed, and the days and hours if his attendance.

CHAPTER III

REGISTRATION OF MARRIAGES

6. Every Marriage to be registered.— After the date of commencement of this Act every marriage solemnized in the State irrespective of cast, religion or creed, shall be registered in the manner as provided in section 7.

7. Memorandum of marriages.— (1) The parties to a marriage shall prepare and sign a memorandum, in such form, as may be prescribed and deliver or send by registered post, the said memorandum in duplicate to the Registrar of the area concerned in which the marriage was solemnized or the ordinary place of residence of the bride/her parents, or the bride groom/his parents, within a period of ninety days from the date of marriage.

(2) The memorandum shall be accompanied by such fee in the form of court fee stamps and shall be attested by such person, as may be prescribed.

(3) Where the Registrar, before whom the memorandum is presented under sub-section (1), on scrutiny of the documents submitted with the memorandum or, on the other facts noticed or brought to his notice, is satisfied or has reason to believe that—

(a) the marriage between the parties is not performed in accordance with the personal law of the parties; or

(b) the identity of the parties or the witnesses or the persons testifying the identity of the parties and the solemnization of the marriage is not established beyond reasonable doubt; or

(c) the documents tendered before him do not prove the marital status of the parties,

He may after hearing the parties and recording the reasons in writing, refuse to register the marriage and may—

(i) call upon the parties to produce such further information or documents as deemed necessary, for establishing the identity of the parties and the witnesses or correctness of the information or documents presented to him: or

(ii) if deemed necessary also refer the papers to the local police station within whose jurisdiction the parties reside, for verification.

(4) Where on scrutiny of documents presented to him or on further verification as provided in sub-section (3), the Registrar concerned is satisfied that there is no objection to register the marriage, he shall register the same within the period as may be prescribed. If in the opinion of the Registrar, the marriage is not fit for registration, he shall pass an order of refusal in writing, after recording the reasons therefore and send the duplicate copy thereof to the District Registrar.

(5) Such parties to a marriage who were married prior to the date of commencement of this Act may, also get their marriage registered if they are residents of the State at the time of registration of the marriage, subject to the terms and conditions as mentioned in sub-sections (2), (3) and (4).

(6) Such parties to a marriage who have married outside the State but are residents of the State, may also get their marriage registered in the State as per provisions of sub-section (1), subject to the terms and conditions as mentioned in sub-sections (2), (3) and (4).

(7) If the marriage is already registered outside the State, it shall not be registered again in the State.

8. Appeal.— (1) Any person aggrieved by the order of the Registrar refusing to register the marriage under sub-section (4) of Section 7 may within a period of ninety days from the date of receipt of such order, appeal to the District Registrar in such manner and accompanied by such fee, as may be prescribed.

(2) The District Registrar, after giving an opportunity of being heard to the party concerned, may pass an order confirming the order of the Registrar or after recording the reasons in writing, direct the Registrar concerned to register the marriage or may pass such order as he may deem fit.

9. Second Appeal.— (1) Any person aggrieved by the order of the District Registrar refusing to register the marriage under Section 8 may, within a period of ninety days from the date of receipt of such order, appeal to the Chief Registrar in such manner and, accompanied by such fee, as may be prescribed,

(2) The Chief Registrar, after giving an opportunity of being heard to the party concerned, may pass an order confirming the order of the District Registrar or Registrar concerned or after recording the reasons in writing, direct the District Registrar or Registrar concerned, as the case may be, to register the marriage or may pass such order as he may deem fit.

10. Register.— (1) The Registrar shall maintain a register of marriages solemnized in the State in such form and manner as may be prescribed. On receipt of the memorandum of marriage under section 7, the Registrar shall make a record of the same in the register.

(2) On registration of the marriage, the Registrar shall issue a certificate of marriage to the parties in such form as may be prescribed.

11. Memorandum of marriage submitted after ninety days.— (1) A memorandum accompanied by such fee along with such fine as may be prescribed regarding any particular marriage, may be submitted in the Registrar after the expiry of the period specified under sub-section (l) of section 7 and the Registrar shall proceed accordingly after following the due procedure enumerated in Section 7.

(2) Nothing in sub-section (1) shall affect the liability of any person who has wilfully omitted or neglected to deliver or send the memorandum within the period specified in sub-section (1) of Section 7 to any penalty that may be imposed under Section 16.

(3) Any marriage of which delayed information is given to the Registrar after the period specified in sub-section (1) of Section 7 but within one year of its solemnization, shall be registered only with the written permission of the District Registrar and on payment of such fee along with such fine as may be prescribed and on production of an affidavit attested by Notary Public or Magistrate justifying the cause of delay.

(4) Any marriage of which delayed information is given to the Registrar after one year of its solemnization shall be registered only with the written permission of the Chief Registrar and on payment of such fee along with such fine as may be prescribed and on production of an affidavit attested by Notary Public or Magistrate justifying the cause of delay.

(5) Nothing contained in sub-sections (1), (2), (3) and (4) shall affect the liability of any person under the provisions of Section 16.

12. Register to be open for public inspection.— (1) The register maintained under this Act shall at all reasonable times, be open to inspection and certified extracts therefrom shall, on application, be given by the Registrar on payment of such fee as may be prescribed.

(2) All extracts given under sub-section (1) shall be certified by the Registrar or any other officer authorized by the State Government to give such extracts as provided in Section 76 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) and shall be admissible in evidence for the purpose of proving the marriage to which it relates.

13. Non-registration not to invalidate marriage.— No marriage in the State shall deemed to be invalid solely by reason of the fact that it was not registered under this Act or that the memorandum was not delivered or sent to the Registrar or that such memorandum was defective, irregular or incorrect.

CHAPTER IV

MAINTENANCE OF REGISTERS AND RECORDS

14. Maintenance of register.—(1) Every Register shall keep a register of marriages for the concerned area or any part thereof in relation to which he exercises jurisdiction in such form and manner as may be prescribed.

(2) The Chief Registrar shall cause to be printed and supplied a sufficient number of register books for making entries of marriage according to such form as may, from time to time, be prescribed; and a copy of such form in the local language shall be pasted at some conspicuous place or near the outer door of the office of Registrar.

15. Correction or cancellation of entry in register.— If it is found to the satisfaction of the Registrar that any entry of a marriage in any register kept by him under this Act is erroneous in form or substance, or has been fraudulently or improperly made, he may, subject to such rules as may be made by the State Government with respect to the condition on which and the circumstances in which such entries may be corrected or cancelled, correct the error or cancel the entry by suitable entry in the margin, without any alteration of the original entry, and shall sign and attest such entry made in the margin and add the date of correction or cancellation.

CHAPTER V

PENALTIES

16. Penalty.— any person who—

(a) wilfully omits or fails to deliver or send memorandum as required by Section 7, shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees; or

4011 GI/09-3

(b) (i) makes any statement in such memorandum which is false in material particulars, and which he knows or has reason to believe to be false ; or

(ii) secretly destroys or dishonestly or fraudulently alters the marriage register or any part thereof,

shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees or imprisonment for one year, or both.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

17. Registrars to be public servants.— The Chief Registrar, District Registrars, Additional District Registrars, Registrars and other officers and officials appointed under this Act, while acting or purporting, to act in pursuance or any of the provisions of this Act, shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act 45 of 1860).

18. Indemnity.— No suit, prosecution or other legal proceedings shall be instituted against any person for, anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

19. Power to make rules.— (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality or the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) the manner and interval at which the report of working of this Act is to be submitted under sub-section (4) of section 3 ;

(b) the fee of the memorandum and the person who shall attest the same under sub-section (2) of section 7;

(c) the period within which the marriage is to be registered under sub-section (4) of section 7;

(d) the manner and fee for filing an appeal under sub-section (1) of section 8;

(e) the manner and fee for filing of second appeal under sub-section (1) of section 9;

(f) the form and manner in which register is to be maintained under sub-section (1) of section 10;

(g) the form in which certificate of marriage shall be issued under sub-section (2) of section 10;

(h) the fee and fine to be paid under sub-section (1) of section 11;

(i) the fee for obtaining certified copy under sub-section (1) of section 12;

(j) the form and manner in which register of marriages is to be maintained and forms for making entries of marriage under section 14;

(k) the conditions and circumstances in which entries of marriage shall be corrected or cancelled under section 15;

(l) any other matter which is to be or may be prescribed under this Act.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature, while it is in session.

20. Provisions not to be derogatory to certain laws.— The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of the Special Marriage Act, 1954 (43 of 1954), the Indian Christian Marriage Act, 1872 (15 of 1872), the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936 (3 of 1936) and the Foreign Marriage Act, 1969 (33 of 1969).

21. Repeal and saving.— (1) The Haryana Compulsory Registration of Marriages Ordinance, 2008 (Haryana Ordinance No. 1 of 2008), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

Printed by the Manager, Goverment of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.